

प्राथमिक डिगरी बुमकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6.7 जाब्ला दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम भीम

बईजलास - श्री दूदाराम आर.ए.एस.

वादीगण:-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
श्री रामनाथ पुत्र मोतीनाथ जोगी निवासी कथार-आसन काछबली तहसील भीम जिला राजसमन्द		01.श्री भंवरनाथ पुत्र गुलाबनाथ जोगी 02.श्री नारायणनाथ पुत्र गुलाबनाथ जोगी 03.श्री लक्ष्मणनाथ पुत्र गुलाबनाथ जोगी 04.श्री पारसनाथ पुत्र गुलाबनाथ जोगी 05.श्री देवनाथ पुत्र गुलाबनाथ जोगी 06.श्रीमती सायरीदेवी पत्नि गुलाबनाथ जोगी 07.श्रीमती बदामीदेवी पत्नि तेजनाथ जोगी 08.श्री संतोषनाथ पुत्र करमनाथ जोगी 09.श्री श्रवणनाथ पुत्र करमनाथ जोगी 10.श्री दीनूनाथ दतकपुत्र टोडनाथ जोगी 11.श्री देवनाथ पुत्र हजारीनाथ जोगी 12.श्री रमेशनाथ पुत्र हजारीनाथ जोगी 13.श्रीमती पानी पत्नि हजारीनाथ जोगी समस्त निवासीयन कथार-आसन काछबली तहसील भीम जिला राजसमन्द 14.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

दावा बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53,88 आर.टी.एक्ट. 1955

मुकदमा नम्बर 137 / 2013 रे0वाद

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी अधिवक्ता एवं अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलास को डिगरी दी जाती है कि वाद पत्र के बिन्दु संख्या 01 में वर्णित तहसील भीम मौजा लाखागुडा पटवार हल्का लाखागुडा के खाता संख्या 630 में वर्णित संख्या नम्बर 2795,2796,2797,2798 कुल किता 04 रकबा 24 बिघा भूमि की कृषि आराजी में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदनानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 के मध्य विभाजन बाबत राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से एवं BY METES & BOUNDS के आधार पर विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये एक माह में पेश करें।

वसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.05.2025 को जारी की गई।



सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
बिला - राजसमन्द